लघु वित्तपोषण योजना

(Micro-Finance Scheme)

लघु-वित्त पोषण योजना के अंतर्गत, स्वयं सहायता समूहों (SHG) के सदस्यों को विशेषकर, दूर-दराज के गाँव और शहरों की मलिन बस्तियों में जीवन-यापन कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय की उन महिलाओं को लघु ऋण दिया जाता है जो न तो बैंकों से ऋण ले पाती हैं और न ही JSMFDC के माध्यम से NMDFC की ऋण योजनाओं का लाभ ही उठा पाती है।

इस योजना में स्वयं सहायता समूहों (SHG) के नेटवर्क और JSMFDC द्वारा पहचान किए ऋण मामले में विश्वसनीय गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से भी सर्वाधिक गरीब लोगों को ऋण देने की संकल्पना है। यह एक अनौपचारिक ऋण योजना है, जिसमें लाभार्थी के दरवाजे पर शीघ्र ऋण प्रदानगी सुनिश्चित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत एनजीओ/स्वयं सहायता समूह के माध्यम से SHG के प्रत्येक सदस्य को अधिकतम 1.00 लाख रू० तक का लघु ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना को JSMFDC के साथ-साथ एनजीओ के माध्यम से भी लागू किया जाता है।

क्र० सं०	मापदंड (Parameters)	स्कीम का ब्योरा	
		क्रेडिट लाईन 1	**क्रेडिट लाईन 2**
1	ऋण राशि	स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए 1.00 लाख रू० से 20.00 लाख तक	स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए 1.50 लाख रू० से 30.00 लाख तक
2	लाभार्थियों/स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज दर	7% वार्षिक	10% p.a. पुरूष 8% p.a. महिला
3	ऋण स्थगन अवधि (Moratorium period)	3 माह	3 माह
4	लाभार्थियों के लिए पुनर्भुगतान की अवधि	3 वर्ष	3 वर्ष